फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली जिला उदयपुर

प्रार्थी :– डालु भील
किस्म मुकदमा :– 131, 133 एल.आर.एक्ट

विपक्षी :–**राज्य**
पत्रावली संख्या :–**121/25 विविध**
जीसीएमएस नम्बर :–**2025/436**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

दिनांक : 10.03.2026 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी एवं राजपैरोकार उपस्थित। प्रकरण में तहसीलदार की रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र बहस का निवेदन किया गया। बहस सुनी गई।

राजपैरोकार तहसीलदार द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उपखण्ड अधिकारी वल्लभनगर के आदेश क्रमांकः 14/83 आवंटन दिनांक 07.03.1983 से ग्राम नउवा के खसरा नम्बर 1873 में से 05 बीघा श्री नाथू पिता रूपा गमेती निवासी नउवा को आवंटित हुई। जिसे आवंटी के नाम गैर खातेदारी हक से जरिये नामान्तरण संख्या 335 दर्ज की गई। जिसके नवीन खसरा नम्बर 2549/1873 रकबा 0.8094 हैक्टेयर दर्ज हुये। नामान्तरण की पुश्त पर उक्त भू–भाग का नक्शा पेन्शिली बना हुआ है। नक्शा लट्ठा पर उक्त नम्बर की तरमीम नहीं की हुई है। वर्तमान में ग्राम नउवा के नवीन खसरा नम्बर 2549/1873 रकबा 0.8094 हैक्टेयर विक्रय से क्रेता श्री डालू गमेती पुत्र रूपा गमेती जाति भील निवासी खेमली तहसील घासा के नाम खातेदारी हक से दर्ज है। क्रेता द्वारा वर्तमान नक्शा तरमीम को छोटा बताते हुए सही तरमीम हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। बटर शीट एवं ऑनलाईन नक्शा में दर्शाई गई खसरा नम्बर 2549/1873 की तरमीम का रिकॉर्ड में दर्ज क्षेत्रफल 0.8094 हैक्टेयर नहीं होकर कम है जबकि मौके पर प्रार्थी के कब्जे में रिकॉर्ड अनुसार बराबर रकबा है। मौके पर उक्त खसरे के चारों ओर पत्थर एवं ईंटों की पक्की दिवार बनाई हुई है। प्रार्थी के खेत के पड़ौसी खसरा नम्बर 2546/1873 रकबा 0.8094 हैक्टेयर खातेदार उषा पिता बाबू, मीठालाल पिता बाबू नाबालिग सरंक्षक बहिन उषा, खुमाणी, बेनकी, लाली पिता चेना भील निवासी नउवा के नाम एवं खसरा नम्बर 2524/1873 रकबा 0.3237 हैक्टेयर खातेदार कैलाश, गिरजा पिता हिरालाल कुम्हार निवासी भमरसिया तहसील वल्लभनगर, चुन्नीबाई, पुष्पा, प्रकाश, भैरूलाल पिता केशुलाल कुम्हार निवासी नउवा के नाम खातेदारी हक से दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त दोनों पड़ौसी खातों के नक्शे में रकबा रिकॉर्ड से अधिक दर्शाते हुए तरमीम की गई है। प्रार्थी के खसरा नम्बर 2549/1873 रकबा 0.8094 हैक्टेयर एवं पड़ौसी खातेदारान् के खसरा नम्बर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Singh Punadia
Date: 2026.04.16 16:00:10 IST
Reason: SelfAttested

2546/1873 रकबा 0.8094 हैक्टेयर एवं 2524/1873 रकबा 0.3237 हैक्टेयर को बटर शीट एवं ऑनलाईन वर्तमान नक्शा तरमीम तथा प्रार्थी द्वारा मौके पर कब्जे अनुसार रकबा पूर्ति करते हुए चाही गई तरमीम (लाल स्याही से दर्शाते हुए) नक्शा का प्रेस सलंग्न है। उक्तानुसार तरमीम शुद्धि किये जाने पर पड़ौसी खातेदारान् के नाम दर्ज भूमि के क्षेत्रफल में कोई कमी बेसी नहीं होती है। तहसीलदार द्वारा अपनी रिपोर्ट के साथ भू.अभिलेख निरीक्षक वृत खेमली द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट, मौका पर्चा, नक्शा ट्रेस, जमाबन्दी नकल, नामान्तरण की प्रति, आदेश की प्रति संलग्न की गई।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। तहसीलदार घासा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अध्ययन किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि ग्राम नउवा पटवार हल्का नउवा तहसील घासा जिला उदयपुर की नकल जमाबंदी संवत 2077–80 के खाता संख्या 515 पर दर्ज आराजी नम्बर 2549/1873 रकबा 0.8094 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। उक्त भूमि के रिकॉर्ड में रकबा 0.8094 है परन्तु राजस्व नक्शे में की गई तरमीम का रकबे की गणना करने पर कम दर्ज है। मूल आराजी नम्बर 1873 से उक्त भूमि मूल खातेदार नाथू पिता रूपा गमेती के नाम पर आवंटन हुई। जिसकी तरमीम साबिक लट्ठा नक्शा में नही की गई। इसी प्रकार मूल आराजी नम्बर से अन्य खातेदारो को भी आवंटन की गई। जिनके आराजी नम्बर 2546/1873, 2524/1873 कायम किए गए। परन्तु इन सभी की तरमीम राजस्व नक्शे में नही की गई। सेग्रीगेशन के वक्त राजस्व रिकॉर्ड अर्थात जमाबंदी एवं नक्शे को ऑनलाईन किया जाना था। तत्समय ऑनलाईन में उक्त आराजीयात की तरमीम की गई। सेग्रीगेशन के वक्त ऑनलाईन में तरमीम करते समय उक्त सभी आराजीयात के रकबे अनुसार तरमीम नही कर अपने मनमुताबिक तरमीम कर दी गई। जिससे कारण जिस आराजी का रकबा जमाबंदी में अधिक दर्ज था उसका रकबा नक्शे में कम दर्ज हो गया तथा जिसका जमाबंदी में कम दर्ज था उसका रकबा नक्शे में अधिक दर्ज हो गया।

न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि सेग्रीगेशन के वक्त केवल मात्र राजस्व रिकॉर्ड को ऑनलाईन किया जाना था। उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नही करना था परन्तु उक्त आराजीयात की साबिक नक्शे में तरमीम नही होने से ऑनलाईन में तरमीम किया जाना भी आवश्यक था। ऐसे में राजस्व कर्मचारियो द्वारा अपने मनमुताबिक तरमीम कर दी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.04.16 16:00:19 IST
Reason: SelfAttested

जबकि राजस्व कर्मचारियों जमाबंदी में दर्ज रकबे अनुसार ही तरमीम करनी चाहिए थी। न्यायालय का यह भी मानना है कि जमाबंदी में दर्ज रकबा एवं राजस्व नक्शे में की गई तरमीम का रकबे में भिन्नता नही हो सकती है। अर्थात जमाबंदी में दर्ज रकबे अनुसार ही राजस्व नक्शे में की गई तरमीम का रकबा होना चाहिए। प्रकरण में प्रार्थी का मौके पर कब्जा जमाबंदी में दर्ज रकबे अनुसार ही है। केवल मात्र नक्शे में तरमीम करते समय नक्शे में रकबा कम किया गया है। जिसे तहसीलदार घासा द्वारा भी स्वीकार किया गया है और जमाबंदी में दर्ज रकबे अनुसार तरमीम कर प्रस्तावित नक्शा ट्रेस भी प्रस्तुत किया है। प्रकरण में जमाबंदी में दर्ज रकबे अनुसार ही आराजीयात की तरमीम राजस्व नक्शे में की जाती है तो इससे किसी भी खातेदार का हित प्रभावित नही होगा। ऐसे में तहसीलदार द्वारा प्रस्तावति नक्शे अनुसार तरमीम किया जाना उचित है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र न्यायहित में तहसीलदार मावली की रिपोर्ट के आधार पर स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

—: आदेश :—

परिणामस्वरूप प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 133 भू. राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि ग्राम नउवा पटवार हल्का नउवा तहसील घासा जिला उदयपुर की नकल जमाबंदी संवत 2077—80 के खाता संख्या 515 पर दर्ज आराजी नम्बर 2549/1873 रकबा 0.8094 हैक्टेयर भूमि की तरमीम प्रस्तावित नक्शा ट्रेस अनुसार किए जाने के आदेश दिए जाते है। प्रस्तावित नक्शा ट्रेस इस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। साथ ही तहसीलदार घासा को निर्देशित किया जाता है कि उक्त आराजीयात की राजस्व नक्शे में तरमीम करते हुए यह सुनिश्चित करे की उक्त आराजीयात का रकबा जमाबंदी में दर्ज रकबे अनुसार ही राजस्व नक्शे में हो। प्रस्तावित नक्शे अनुसार तरमीम किये जाने हेतु तहसीलदार घासा को लिखा जावें। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय खुले न्यायायलय सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.04.16 16:00:19 IST
Reason: SelfAttested